<u>राजस्थान सरकार</u>
<u>नगरीय विकास विभाग</u>

क्रमांक प.17(1)नविवि / अभियान / 2021 जयपुर, दिनांक 08 APR 2022

<u>आदेश</u>

मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 37 / 2022 दिनांक 15.03.2022 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के समाधान एवं अनाधिकृत भूमि उपयोग को रोकने के संबंध में सुझाव देने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1.	डॉ. जी. एस. संधू(सेवानिवृत आई.ए.एस.), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
4.	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
6.	निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
7.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
8.	श्री एच एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, नगर नियोजन विभाग	सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)	सदस्य
10.	संयुक्त शासन सचिव-प्रथम	सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. श्री एच एस संचेती, प्रमुख सलाहकार, नगर नियोजन विभाग
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), नगर नियोजन विभाग।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम